रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 15, 2014/आषाढ़ 24, 1936
No. 206] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 15, 2014/ASHADHA 24, 1936

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 11 जुलाई, 2014

सं. टीएएमपी/5/2011–वीएसपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मौजूदा दरमान की वैधता को विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

(मामला सं. टीएएमपी/5/2011–वीएसपीएल)

कोरम:

(i) श्री टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री चन्द्र भान सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(जुलाई, 2014 के चौथे दिन पारित)

यह मामला विशाखापत्तनम पत्तन न्यास में बर्थ ईक्यू–8 और ईक्यू–9 में इसके द्वारा प्रहस्तित पोतों के लिए विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वीएसपीएल) के मौजूदा दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1 वीएसपीएल का मौजूदा दरमान (एसओआर) इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी/5/2011–वीएसपीएल, दिनांक 11 अक्तूबर 2011, जिसे 22 नवम्बर 2011 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह आदेश दरमान की वैधता 31 मार्च, 2014 तक निर्धारित करता है।

2.2. वीएसपीएल ने हारबर मोबाइल क्रेन के लिए निर्धारित प्रशुल्क की सीमा तक के लिए माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उक्त आदेश दिनांक 11 अक्तूबर 2011 को चुनौती दी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने वीएसपीएल को आगे आदेशों तक हारबर मोबाइल क्रेना के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमादित रु. 36.70 प्रति टन की बजाय रु. 72.75 प्रति टन की पूर्व–संशोधित दर वसूल करने की अनुमति दे दी थी।

3. वीएसपीएल ने अपने पत्र दिनांक 10 मार्च, 2014 द्वारा दरमान के संशोधन के लिए अपना स्वयं का प्रस्ताव दाखिल किया था। जैसाकि ऊपर बताया गया है, पिछले आदेश में अनुमोदित एचएमसी की केवल प्रशुल्क मद को वीएसपीएल द्वारा चुनौती दी गई है। सभी अन्य प्रशुल्क मदें वीएसपीएल द्वारा आदेश दिनांक 11 अक्तूबर,

2011 के अनुसार वसूल की जाती हैं। उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर और इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वीएसपीएल ने स्वयं ही अपने दरमान के संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है जोकि 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो चुका है, वीएसपीएल के प्रस्ताव को प्रशुल्क मामले के रूप में पंजीकृत किया गया है और संबद्ध उपयोक्ताओं के साथ विचार–विमर्श किया गया है।

4. संशोधित प्रशुल्क अधिसूचित किए जाने तक मौजूदा दरमान की वैधता विस्तारित करने के लिए वीएसपीएल द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 मार्च, 2014 द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान (हारबर मोबाइल क्रेन की इसकी दर के लिए वैधता के सिवाय जो न्यायाधीन है) की वैधता को इसकी समाप्ति की तारीख से 30 जून, 2014 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित किया गया है।

5. वीएसपीएल के प्रस्ताव की आंतरिक तौर पर संवीक्षा की जानी है। इसके बाद, परामर्शी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में संयुक्त सुनवाई की जानी है। उसके मद्देनजर इस प्राधिकरण के समक्ष अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए मामला तैयार करने में कुछ और समय लगेगा।

6.1. वीएसपीएल के मौजूदा दरमान की विस्तारित वैधता 30 जून 2014 को समाप्त हो रही है। उपर्युक्त पैरा 5 में बताई गई स्थिति के मद्देनजर, अंतिम रूप से विचार किए जाने के लिए मामला तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए, यह प्राधिकरण मौजूदा दरमान (हारबर मोबाइल क्रेन की इसकी दर के लिए वैधता के सिवाय जो न्यायाधीन है) की वैधता को को 30 सितम्बर, 2014 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तारित करता है।

6.2. यदि स्वीकार्य लागत और स्वीकार्य प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष 1 अप्रैल, 2014 के बाद की अवधि के लिए प्रकट होता है तो इसके कार्यनिष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसा अतिरिक्त अधिशेष निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन III/4/असा./143/2014]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION

Mumbai, the 11 July, 2014

No. TAMP/5/2011-VSPL. —In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of Vizag Seaport Private Limited as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/5/2011-VSPL

QUORUM

(i). Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri Chandra Bhan Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on 4th day of July, 2014)

This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Vizag Seaport Private Limited (VSPL) for the vessels handled by it at berth EQ-8 and EQ-9 at the Visakhapatnam Port Trust.

2.1. The existing Scale of Rates (SOR) of VSPL was last approved by this Authority *vide* Order No. TAMP/5/2011-VSPL dated 11 October 2011 which was notified in the Gazette of India on 22 November, 2011. The Order prescribes the validity of the SOR till 31 March, 2014.

2.2. The VSPL has challenged the said Order dated 11 October, 2011 in the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh to the extent of the tariff fixed for the Harbour Mobile Crane. The Hon'ble High Court has

permitted the VSPL to levy the pre-revised rate of ₹72.75 per tonne instead of ₹ 36.70 per tonne approved by this Authority for the Harbour Mobile Crane until further orders.

3. The VSPL has on its own filed the proposal for revision of the SOR *vide* its letter dated 10 March, 2014. As stated above, only tariff item of HMC approved in the last Order is challenged by VSPL. All other tariff items are levied by VSPL as per the Order dated 11 October, 2011. In view of the above position and also recognising the fact that the VSPL has itself filed a proposal for revision of its Scale of Rates the validity of which has expired on 31 March, 2014, the proposal of VSPL has been registered as tariff case and taken on consultation with the concerned users.

4. Based on the request made by the VSPL *vide* its letter dated 25 March, 2014 to extend the validity of the existing SOR till revised tariff is notified, this Authority has extended the validity of existing SOR (except the validity for its rate of Harbour Mobile Crane which is subjudice) from the date of its expiry till 30 June, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

5. The proposal of the VSPL is to be scrutinized internally. Further, joint hearing as part of the consultative process is to be set up. In view of that it will take some time for the case to mature for final consideration of this Authority.

6.1. The extended validity of the existing SOR of VSPL expires on 30 June, 2014. In view of the position brought out in para 5 above, it will take time for this case to mature for final consideration. This Authority, therefore, extends the validity of the existing SOR, (except the validity for the rate of Harbour Mobile Crane which is subjudice), from the date of its expiry till 30 September, 2014 or till the effective date of implementation of the revised Scale of Rates, whichever is earlier.

6.2. If any surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/Exty./143/2014]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.